


Order Sheet [Contd]

Case No. of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleadors where necessary
21/10/16	<p>राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी मुकेश सहित श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता। इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आहत तथा आरोपी ने उपस्थित होकर उनके मध्य राजीनामे की चर्चा हेतु प्रकरण मीडिएशन के लिए रैफर किये जाने का निवेदन किया। निवेदन सद्भावी प्रतीत होने से विचारोपरात स्वीकार किया गया। प्रकरण प्रशिक्षित मीडिएटर श्री गोपेश गर्ग साहब को रैफरल ऑर्डर सहित प्रेषित किया जाये। प्रकरण मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।</p> <p>पक्षकार पूर्ववत्। मीडिएशन परिणाम रिपोर्ट प्राप्त, जिसके अनुसार उभय पक्ष के मध्य शमन कार्यवाही करने हेतु सहमति बन गई है। इसी प्रास्थिति पर फरियादी बुद्धे पुत्र गिरवर ओझा एवं नीतू पत्नी पत्नी बुद्धे ओझा, निवासीगण :- मौ स्यौदा रोड टावर के पास मौ ने उसके अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया। फरियादी/आवेदक बुद्धे एवं नीतू ने उसके अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तग पर लगे धारा 294, 323, 451 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 "02" द.प्र.स. प्रस्तुत किया। फरियादी बुद्धे एवं नीतू अभियोजित अपराध की धारा 294, 323, 451 एवं 506 भाग II भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा की है। आहतगण की पहचान उसके चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन से भी हो रही है।</p>	<p>मुकेश सिवई</p> <p>गोपेश गर्ग</p> <p>गोहद, जिला-मिर्जापुर (न.प्र.)</p> <p>पक्षकार पूर्ववत्।</p> <p>मुकेश सिवई</p> <p>गोहद, जिला-मिर्जापुर (न.प्र.)</p>

पक्षकार शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम-वर्गी
गोहद, जिला-मिर्जापुर (न.प्र.)

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>फरियादीगण को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त और उसके संबंध मधु हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्ध अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजित की धारा 294, 323, 451 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया जाता है। तदनुसार अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 294, 323, 451 एवं 506 भाग II के अधीन दण्डनीय अपराध को अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।</p> <p>अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है। प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।</p> <p style="text-align: center;">  पंकज शर्मा जेलर, सी. गौहद न्यायिक सचिव, पंजाब, दिल्ली के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय (म.प्र.) </p>	